उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः ५५५ / VII-1 / 96–ख / 2007
देहरादून : दिनांकः 22 अगस्त, 2007

कार्यालय ज्ञाप

जनपद–बागेश्वर के ग्राम–कुनौली सुनेड़ा आदि में 8.38 वर्ग किमी0 क्षेत्र में खनिज सोपस्टोन के प्रोस्पेक्टिंग कार्य हेतु प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस प्राप्त करने हेतु खनिज परिहार नियमावली, 1960 के प्राविधानों के अन्तर्गत आवेदिका श्रीमती सुनीता जायसवाल पत्नी श्री दुष्यन्त जायसवाल, निवासी न्यू लाईन रामनगर, जनपद नैनीताल द्वारा दिनांक 18.07.1995 को जिलाधिकारी, बागेश्वर कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

आवेदिका द्वारा अपने उक्त आवेदन पत्र के साथ आवेदित क्षेत्र का भूकर मानचित्र, हाल खसरा, खतौनी, भूस्वामियों की सहमति, 1893 की विज्ञप्ति के अनुसार खसरा आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। आवेदन पत्र में पायी गयी कमियों के निराकरण हेतु आवेदिका को जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा दिनांक 19.10.2001 को पंजीकृत डाक से सूचना प्रसारित की गयी परन्तु आवेदिका के स्तर से उक्त कमियों का निराकरण नहीं किया गया और न ही कोई प्रत्युत्तर दिया गया।

उक्त परिप्रेक्ष्य में खनिज परिहार नियमावली, 1960 के प्राविधानों के अन्तर्गत आवेदन पत्र को निरस्त करने से पूर्व आवेदिका को सुनवाई का अवसर जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा दिया गया। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका श्रीमती सुनीता जायसवाल के आवेदन पत्र दिनांक 18.07.1995 को शासनादेश संख्या 759 / सात / 04 / 120–ख / 04, दिनांक 29 दिसम्बर, 2004 द्वारा निरस्त कर दिया गया। तत्क्रम में जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा विज्ञप्ति संख्या 306 / तीस–खनन / 2004–05, दिनांक 22 जनवरी, 2005 के माध्यम से इच्छुक व्यक्ति / संस्थाओं को उक्त क्षेत्र में प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए।

उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए श्रीमती डोनिटा व तीन अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 792(एम / बी) / 2005 दायर की गयी। जिसमें मा0 उच्च न्यायालय की मा0 डिविजन बैंच द्वारा दिनांक 07.12.2005 को निर्णय पारित करते हुए याचीगण को नोटिस के संदर्भ में वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 07.12.2005 से एक माह का समय दिया गया। श्रीमती सुनीता जायसवाल द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी एक माह की समयसीमा अर्थात् 06.01.2006 तक वांछित अभिलेख जिलाधिकारी, कार्यालय बागेश्वर में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिस कारण श्रीमती सुनीता जायसवाल पत्नी श्री दुष्यन्त जायसवाल के प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 18.07.1995 को शासनादेश संख्याः 795 / VII-1 / 06 / 73–रिट / 2005, दिनांक 22 फरवरी, 2006 द्वारा पुनः निरस्त / अस्वीकृत किया गया।

शासनादेश 795 / VII-1 / 06 / 73–रिट / 2005, दिनांक 22 फरवरी, 2006 के विरूद्ध श्रीमती सुनीता जायसवाल द्वारा पुनः मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका दायर की। मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल ने पुनः 24.08.2006 को उक्त शासनादेश दिनांक 22 फरवरी, 2007 को सेट एसाईट करते हुए आवेदिका के प्रार्थना पत्रों को विधिनुसार प्रोसेस करने का निर्णय दिया। यह आदेश मा0 न्यायालय द्वारा इस कारण दिया गया कि आवेदिका श्रीमती जायसवाल द्वारा मा0 न्यायालय को अवगत कराया गया कि उक्त वांछित अभिलेख निर्धारित समयावधि से एक दिन विलम्ब से जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर में प्रस्तुत कर दिये गये हैं। अतः मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.08.2006 के अनुपालन में श्रीमती सुनीता जायसवाल को पुनः वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ शासन के पत्र संख्या 888 / VII-1-07 / 73–रिट / 2005, दिनांक 21 मार्च, 2007

द्वारा निर्देशित किया गया कि वे शासन के उपरोक्त पत्र के निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों की समयावधि के अन्दर वांछित अभिलेख/पत्राजात जिलाधिकारी कार्यालय, बागेश्वर में जमा करें तथा यदि उक्त अभिलेख/पत्राजात जमा नहीं किये जाते हैं तो आवेदिका का आवेदन पत्र दिनांक 18.07.1995 स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

प्रश्नगत प्रकरण पर जिलाधिकारी, बागेश्वर से जांच कराए जाने पर स्पष्ट हुआ कि ग्राम नायल धपोला के हिस्सेदार/कब्जेदार द्वारा अपनी नापभूमि हेतु दिये गये अनापत्ति पत्र के सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित काश्तकार/ग्रामवासियों को बताया गया और पढ़ाया गया। अनापत्ति पत्र के क्रमांक–2 पर अंकित काश्तकार श्री गंगा सिंह पुत्र राम सिंह कार्की ने अपने हस्ताक्षर होने से कतई इनकार किया और अनापत्ति पत्र में अपने नाम के सम्मुख किये गये हस्ताक्षर को संदिग्ध बताया। क्रमांक–3, 5 पर अंकित व्यक्तियों की ग्राम नायल धपोला में कोई भूमि नहीं होना बताया गया। क्रमांक–4, 6, 8, 13 पर अंकित व्यक्ति ग्राम के अन्दर के होने नहीं पाये गये। क्रमांक–9 पर अंकित व्यक्ति सेना में सेवारत होना मालूम हुआ। क्रमांक–11 पर अंकित व्यक्ति हल्द्वानी एवं क्रमांक–12 पर अंकित व्यक्ति जांच के समय लखनऊ में रहना बताया गया। क्रमांक–10 पर अंकित व्यक्ति जांच के समय अपने घर पर उपस्थित नहीं मिला, जिलाधिकारी बागेश्वर के अनुसार भूस्वामियों की अनापत्ति आवेदिका के पक्ष में न होने के फलस्वरूप आवेदिका द्वारा आवेदित क्षेत्र में प्रोस्पेक्टिंग/खनन कार्य किया जाना संभव नहीं हो सकता।

आवेदिका श्रीमती सुनीता जायसवाल पत्नी श्री दुष्यन्त जायसवाल, निवासी न्यू लाईन रामनगर, जिला नैनीताल के पक्ष में जनपद बागेश्वर के ग्राम कुनौली सुनेड़ा में 8.38 वर्ग किमी0 क्षेत्रफल के सापेक्ष मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में ग्राम नायल धपोला, तहसील व जिला बागेश्वर के अन्तर्गत 42.626 है0 भूमि पर भूस्वामियों की सहमति आवेदिका के पक्ष में न होने की दशा में प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस हेतु धारणाधिकार का प्रस्ताव खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा खनिज परिहार नियमावली, 1960 के अनुसार सम्पूर्ण आवेदित क्षेत्रान्तर्गत भूमिधरी के अतिरिक्त राज्य सरकार की भूमि आवेदित न होने के कारण खनिज परिहार नियमावली 1960 के नियम 9(g) के अनुसार अनापत्ति प्राप्त नहीं होने के दृष्टिगत आवेदिका का आवेदन पत्र दिनांक 18.07.1995 एतद्द्वारा निरस्त/अस्वीकृत किया जाता है।

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 4446 (1)/VII-1/96–ख/2007, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
2. अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून।
3. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. श्रीमती सुनीता जायसवाल पत्नी श्री दुष्यन्त जायसवाल, निवासी न्यू लाईन रामनगर, जिला नैनीताल।

आज्ञा से,

((पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।